

20

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- गुड्डामालानी राहती कागोल

राजीनामा प्रपत्र

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय,
.....

दिनांक 21/10/2021

..... नामक देवी वनाम श्रीमान

प्रकरण संख्या :- 172/2015 अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 RTI

महोदय,
उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री बादीनी नामक देवी पुत्री गुड्डामालानी कागोल का निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

.....
.....
.....
.....

अतः श्रीमान से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. नामक देवी
2.
3.
4.

प्रतिवादी पक्ष 1.
2.
3.
4.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(वादी पक्ष) नाम मोहन शं/गुड्डामालानी

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रतिवादी पक्ष) नामक देवी कागोल
प्रायः पंचायत गुड्डामालानी (कागोल)
पं.स. गुड्डामालानी (कागोल)

प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्तख्याहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, गुड्डामालानी
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
पंचायत समिति गुड्डामालानी/आडेल